POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 21.09.2023

1. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा, लुटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद।

घटना क्रम का विवरण---- दिनांक 21.09.2023 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा, यथार्थ अस्पातल से काम कर जेपी अमन सोसाइटी की तरफ जा रही महिला से झपट्टा मारकर मोबाइल फोन लूटने वाले अभियुक्त सोनू पुत्र राजवीर निवासी ग्राम अमराला थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को वादिया की मदद से मौके से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल स्पलेण्डर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 16 BQ 7220 के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का लुटेरा है, जो कि अपने शह-अभियुक्त कपिल के साथ मिलकर मोटर साइकिल पर सवार होकर राह चलती महिलाओं को विशेष रूप से निशाना बनाकर मोबाइल फोन लूटकर फरार हो जाते हैं।

बरामदगी का विवरण--- मोटर साइकिल स्पलैण्डर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 16 BQ 7220 (घटना में प्रयुक्त)

अभियुक्त का विवरण----- सोनू पुत्र राजवीर नि0 ग्राम अमराला थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण----

1. मु0अ0सं0 492/2023 धारा 356 भादवि थाना बीटा-2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 309/2022 धारा 379/411 भादवि थाना बीटा-2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 745/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस-2 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0सं0 121/2018 धारा 414/411 भादवि थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0सं0 122/2018 धारा 18 एनडीपीएस एक्ट थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
6. मु0अ0सं0 151/2018 धारा 379/411 भादवि थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा, पत्नी की हत्या कर जंगल में फेंकने वाला पति अपने भाई के साथ गिरफ्तार।

घटना क्रम का विवरण---- दिनांक 21.09.2023 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर मलकपुर गोलचक्कर के पास से मुकदमा उपरोक्त के अंतर्गत वांछित अभियुक्तों 1. हिमांशु व दिपांशु

पुत्रगण ज्वालाराय निवासीगण गाँव गडवा अहरौला जिला आजमगढ हाल पता रजनेश का मकान ग्राम मलकपुर थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर को मलकपुर गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण--- दिनांक 11.09.2023 को सायं के समय हिमांशु पुत्र ज्वालाराय गाँव गडवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ हाल पता रजनेश का मकान ग्राम मलकपुर थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर उम्र 24 वर्ष ने अपने सगे भाई दीपांशु के साथ मिलकर अपनी पत्नी सीमा पुत्री चन्द्रदेव पता गाँव ताडी थाना विलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष की निर्मम हत्या कर 03 माह बच्चे(लड़के) को गला दबाकर सीमा का शव तथा बच्चे को जंगल में छिपाने के उद्देश्य से ग्राम गुर्जरपुर रेलवे अंडरपास रेलवे लाईन पार जंगल क्षेत्र थाना नॉलेज पार्क में झाडियों में छिपा दिया था।
थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा दिनांक 13.09.2023 को महिला के शव का अज्ञात में पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी परन्तु बच्चे के सम्बन्ध में कोई जानकारी नही हो सकी, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर दिनांक 18.09.2023 को मृतका की बहन ने मृतका व उसके बच्चे की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी। मृतका की बहन ने दिनांक 19.09.2023 को थाना नॉलेज पार्क जनपद गौतमबुद्धनगर में जाकर अज्ञात मृतका महिला के शव की शिनाख्त कर थाना हाजा पर मृतका के पति हिमांशु व उसके सगे भाई दिपांशु के विरूद्ध उपरोक्त महिला व 03 माह के बच्चे की हत्या के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 511/2023 धारा 302/201/34 भादवि पंजीकृत कराया गया।

अपराध करने का तरीका--- मृतका का पति हिमांशु सीमा के साथ घर वालो को बिना बताये मंदिर में शादी कर मलकपुर में किराये पर रहने लगा, इसी बीच मृतका गर्भवती हो गयी। जून वर्ष 2023 में मृतका ने एक बच्चे (लड़के) को जन्म दिया। इसी बीच अभियुक्त हिमांशु नें अपने घर ग्राम गडवा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ जाकर दूसरी जगह एक लड़की से सगाई कर ली। जब हिमांशु के दूसरी लड़की से सगाई होने की बात मृतका को पता चली तो उसने हिमांशु से रजिस्टर्ड शादी करने के लिए दबाव बनाया। इसी बात से हिमांशु तनाव में रहने लगा और हिमांशु ने मृतका से कहा कि दिनांक 12.09.2023 को हम दोनो दिल्ली में जाकर रजिस्ट्रर्ड शादी कर लेंगे। परिवार की लोक लज्जा की खातिर हिमांशु ने अपने सगे भाई दिपांशु के साथ मिलकर मृतका को रास्ते से हटाने के लिए दिनांक 09.09.2023 को हरिद्वार घुमाने ले गया था, मौका न मिलने पर पुनः दिनांक 10.09.2023 को वृंदावन प्रेम मंदिर ले गया लेकिन मौका नही मिला। दिनांक 11.09.2023 को सांय के समय एकांत में फोटो खिंचाने का बहाना बनाकर मृतका व तीन माह के बच्चे को ग्राम मलकपुर से घुमाने के बहाने ग्राम गुर्जरपुर रेलवे अंडर पास पार कर जंगल क्षेत्र थाना नॉलेज पार्क से ले जाकर महिला की निर्मम हत्या कर उसके 03 माह के बच्चे का गला दबाकर जंगल में झाडियों में छिपा दिया था व शव को दिनांक 13.09.2023 को थाना नालेज पार्क पुलिस द्वारा बरामद कर अज्ञात में मृतका सीमा के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी तथा उसके 03 माह के बच्चे का शव बरामद नही हो सका। तीन माह के बच्चे/शव की तलाश जारी है।

अभियुक्त का विवरण---- 1.हिमांशु पुत्र ज्वालाराय गाँव गडवा अहरौला आजमगढ हाल पता रजनेश का मकान ग्राम मलकपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर
2.दिपांशु पुत्र ज्वालाराय गाँव गडवा अहरौला आजमगढ हाल पता रजनेश का मकान ग्राम मलकपुर थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण---- मु0अ0सं0 511/2023 धारा 302/201/34 भादवि थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण---- आलाकत्ल एक अदद पत्थर का टुकड़ा।